53 55

न्यायालयश्रीमान् माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

खण्डपीठ जिला रीवा म.प्र.

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

C.F. Rs. 20/-

741
12.11.12

1.	दिलीप मेहतर	﴾पुत्रगण श्री बैजनाथ मेहतर सभी निवासी
2.	प्रदीप मेहतर	﴾ग्राम कुठिला थाना जवा तहसील त्योंथर
3.	गुलजार मेहतर	﴾जिला रीवा म.प्र.

4222- II/12

----निगरानीकर्तागण

अधिवक्ता श्री रामनरेश मिश्रा
द्वारा प्रस्तुत।
रीवा, दि० 12-11-2012

12/11

बनाम

1\. चुन्नीलाल पिता कोलई डोमार नि. ग्राम कुठिला थाना जवा तहसील त्योंथर जिला रीवा म.प्र.

----गैरनिगरानीकर्तागण

10-12-12

निगरानी विरूद्ध आदेश तहसीलदार वृत्त गिर्द तहसील त्योंथर के प्र.क्रं. 23ए12/11x12 दिनांक- 11.07.2012.

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू-रा.सं. 1959ई.

मान्यवर,

पुनरीक्षण के आधारनिम्नलिखित हैं:-

1\. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 11.07.2012 विधि एवं प्रकृया तथा न्यायिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य हैं।

(54)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-4222-II/12 जिला - रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
06/2/19	इस प्रकरण में दिनांक 19/7/16 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी न.तहसीलदार [illegible] के प्रकरण क्रमांक 23/अ-12/11-12 में पारित आदेश दिनांक 11.7.12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29/4/2019 को कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 6/2/19 सदस्य	